संख्या–6271/9''आ'' 1–97–9 विधि

प्रेषक,
श्री राम वृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 1997

विषयः **उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय भूखण्डों/भवनों का पंजीकरण एवं आवंटन तथा आवंटन नियमावली को प्रकाशित कर जनसामान्य को उपलब्ध कराना।**

महोदय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय भूखण्डों/भवनों का पंजीकरण एवं आवंटन के सम्बन्ध में मार्ग–दर्शक सिद्धान्त शासनादेश संख्या–39/37–1–93 दिनांक 6 जनवरी, 1993 द्वारा जारी किये गये थे। उक्त शासनादेश में भी कहा गया था कि वर्तमान में लागू व्यवस्था में यदि इन मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे तद्नुसार संशोधित कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के कारण किसी बिन्दु पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार का विन्दु अभिकरण के बोर्ड के समक्ष रखकर उस पर निर्णय लिया जाय और लिये गये निर्णय–अनुसार इनका समावेश मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों में कर दिया जाय किन्तु ऐसा करने के उपरान्त शासन को भी सूचित कर दिया जाय।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों को अपने अभिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा यदि कोई संशोधन किया गया हो तो उसकी प्रति भी कृपया उपलब्ध करायी जाय।

3. इसी क्रम में मुझे यह भी कहना है कि परिषद/प्राधिकरणों द्वारा भूखण्ड/भवन आवंटन के लिये समय–समय पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन आवेदन पत्रों के साथ पंजीकरण धनराशि भी जमा कराई जाती है। आवंटन की कार्यवाही के उपरान्त बहुत से अभ्यर्थियों को आवंटन नहीं हो पाता है, परिणाम स्वरूप आवेदन के पत्र के साथ उनके द्वारा जमा की गई पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण/परिषद में जमा पड़ी रहती है। इस धनराशि को वापस पाने के लिये आवेदन कर्ता को इधर–उधर– भटकना पड़ता है तथा उसे अनावश्यक कठिनाई होती हैं उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक है कि आवेदन कर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ ही उनके बैंक खाते की संख्या तथा बैंक का नाम ले लिया जाय अर्थात आवेदन पत्र में ही एक कालम बना दिया जाय जिसमें आवेदन कर्ता पंजीकरण के समय प्रार्थना पत्र में अपने बैंक खाते की संख्या व बैंक का नाम उल्लिखित कर देगें।

4. आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त बचे हुए आवेदन कर्ताओं की पंजीकरण धनराशि आवेदक द्वारा उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक खाते में सीधे रिफण्ड कर दिया जाय तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण/परिषद द्वारा नियमावलियों में आवश्यक संशोधन भी कर लिया जाय।

5. मुझे यह भी कहना है कि प्राधिकरण/परिषद द्वारा बनाई गयी आवंटन नियमावलियों को समय–समय पर किये गये संशोधन का समावेश करते हुए अद्यावधिक कर लिया जाय तथा प्रकाशित करवा कर सामान्य जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाय।

6. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपेक्षित सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राम वृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव